चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबंध मण्डल की 66 वीं बैठक दिनांक 25 सितम्बर, 1987 की कार्यवाही ।

-:-

स्थान :- कानपुर

उपस्थिति

1-	श्री एस0एस0अहमद, कुलपति	अध्यक्ष
2-	श्री अशोक कुमार, विशेष सचिव कृषि (विशेष आमंत्रित)	
3-	डा0 शंकर लाल, सहायक महानिदेशक, आईसीएआर	सदस्य
4-	डा0 राम जनम सिंह, निदेशक पशुपालन	,,
5-	डा0 जी0पी0 लोधी,	,,
6-	श्री अजीत कुमार सिंह,	,,
7-	श्री नाथ राम चौहान	,,
8-	श्री ओ0पी0नेमानी	,,
9-	डा0 कान्ती देवी	,,
10-	श्री ए0के0वर्मा, अर्थ नियंत्रक	सचिव

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति एवं अध्यक्ष महोदय ने प्रबंध मण्डल के नवनिर्वाचित सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया एवं आशा व्यक्त की कि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत चल रहे कार्यकलापों को सुचारु रूप से सम्पादित करने में उनका योगदान मिलता रहेगा ।

At the outset of the meeting the Vice Chancellor apprised to the members of the Board of Management that on account of implementation of Government letter dated May 4,1987 directing the Vice Chancellor to stop the payment of salary to the teachers in the Selection Grade, the teachers at have not been accepting their salary for the months of July and August,1987 which is causing great unrest amongst them. Vice Chancellor also informed that he has just received a letter from the Government informing that a committe has been formed to look into the question of the admissibility of selection grade to the various categories of the teachers in this University.

The members of the Board of Management were of the view that in order to obviate hardship to the teachers who have not accepted their salary since July, 1987 in the per--selection grade pay scale, Vice Chancellor may allow drawal of salary to such teachers only for July, and August, 1987 in the Selection grade as had been paid to them for the month of June, 1987 and the Government may be requested to expedite scrutiny regarding admissibility of the selection grade to the teachers.

The Comptroller informed the members of the Board that on account of non-compliance of Government letter dated 4.5.1987 as referred to above during the months of May and June, 1987 the Government stopped release of grant to the University and it is only on Vice Chancellor's informing the Government in August, 1987 regarding cancellation of his earlier orders pertaining to the grant of selection grade to the teachers, that the Government agreed to release the first quarterly grant (Non-Plan) whereas on 1.10.1987 three instalments of such grants is due to the University and it is feared that non -compliance of Government order may result into withholding of further grants which will not only render payment of salary of the employees of the University impossible, it will also bring the activities of teaching, research and extension and farm activities to stand still. The Board however resolved as follow.

" The salary of such teachers be disbursed only for the months of July and August, 1987 as has been paid for the month of June, 1987 in the selection grade who have not accepted their salary for the above months, Further resoloved that the Government be requested to accord its post-facto approval of this step in the over all interests of the satisfactory and peaceful working of the University. The Government may further be requested not to withhold the release of grants and also expedite the scrutiny of admissibility of selection grade to the various categories of the teachers in order to resolve this matter.

Shri Ashok Kumar, Special Secretary Agriculture did not approve of the above resolution"

------3

66:1 प्रबंध मण्डल की 64वीं बैठक दिनांक 25-2-1987 की कार्यवाही का अनुमोदन ।

-:

प्रबंध मण्डल ने कार्यवाही अनुमोदित की ।

66:2 प्रबंध मण्डल की 65वीं बैठक दिनांक 7-3-1987 की कार्यवाही का अनुमोदन ।

-:-

प्रबंध मण्डल ने कार्यवाही अनुमोदित की ।

66:3 प्रबंध मण्डल की 64वीं बैठक दिनांक 25-2-1987 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही ।

-:-

प्रबंध मण्डल ने कृत कार्यवाही अनुमोदित की ।

66:4 प्रबंध मण्डल की 65वीं बैठक दिनांक 7-3-1987 में लिये निर्णय पर कृत कार्यवाही ।

-:

प्रबंध मण्डल ने कृत कार्यवाही अनुमोदित की ।

66:5 विश्वविद्यालय कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव पर विचार ।

-:-

प्रबंध मण्डल ने चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की वर्तमान व्यवस्था पर कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए वित्त उप समिति की बैठक दिनांक 21-3-1987 में दी गई अनुशंसा पर असहमति व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की रू0 300/- प्रतिवर्ष वर्तमान सीमा, को रखते हुए इस प्रस्ताव को वित्त उप समिति के सम्मुख पुनः विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये । इसके साथ ही साथ यह भी निर्देश दिया कि वित्त उप समिति को अवगत कराया जाये कि प्रतिपूर्ति की वर्तमान व्यवस्था एवं प्रस्तावित व्यवस्था में कितना व्यय निहित है ।

66:6 To consider & approve the proposal for starting the Academic Programme of Extra Mural Lectures in the College of Agriculture.

प्रबंध मण्डल ने वित्त उप समिति की अनुशंसा से सहमति व्यक्त करते हुए निम्न प्रस्ताव अनुमोदित किया :-

(1) Atleast one Eminent Scientist may be invited in each discipline during one calender year.

(2) The T.A. etc. as per rules and an honorarium of Rs 200/- (Rs two hundred only) may be allowed to the invited Scientist.

... 4

(3) A fixed amount of Rs 200/- (Rs two hundred only) may be sanctioned for entertaining each guest speaker including the expenditure on tea at get-together of Heads of the Department and the Statutory Officers.

66:7 To consider & approve the proposal for maintenence and Minor repairs of University Vehicles.

R.E.

वित्त उप समिति की अनुशंसा से सहमत होते हुए प्रबंध मण्डल ने प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया ।

66:8 To consider and approve the proposal for payment of allowances to the staff deputed for Games & Sports.

DSW.

प्रबंध मण्डल ने वित्त उप समिति की अनुशंसा से सहमति होते हुए कानपुर प्रांगण के 3 Best Counsellors व मथुरा प्रांगण के 3 Best Counsellors ...... को रु0 1000/- प्रतिवर्ष मानदेय देने हेतु अनुमोदन प्रदान किया ।

66:9 बी0एस सी0(एजी0एण्ड एएच0),बी0एससी(गृह विज्ञान),बी0वी0 एस सी0 एण्ड एएच0 एम0 एससी0(एजी0), एम0वी0 एससी0 के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं आर्थिक सहायता की पुनरीक्षित दरों पर विचार एवं अनुमोदन ।

DSW.

-:-

प्रबंध मण्डल ने वित्त उप समिति की अनुशंसा पर सहमति व्यक्त करते हुए संलग्नक (1) में उल्लिखित दरों पर छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया तथा fees Remission की वर्तमान व्यवस्था को भी बनाए रखने का निर्देश दिया ।

66:10 Considering the Importance of Postharvest Technology, the Academic Council vide its resolution No.574 has accepted the opeing of a new Department of Post-harvest Technology.

Dean Ag

वित्त उप समिति की अनुशंसा से सहमत होते हुए प्रबंध मण्डल ने प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया ।

66:11 विश्वविद्यालय में कार्यरत सुरक्षा अधिकारी को निः शुल्क आवास की सुविधा प्रदान कराये जाने का प्रस्ताव ।

-:-

वित्त उप समिति द्वारा प्रस्ताव अस्वीकृत करने की अनुशंसा पर विचारोपरान्त प्रबंध मण्डल ने निर्णय लिया, चुकि सुरक्षा अधिकारी का पद एक महत्वपूर्ण पद है और सुरक्षा अधिकारी का 24 घंटे प्रांगण में रहना आवश्यक है ताकि वह सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों को ठीक प्रकार से सम्पादित कर सके,अतः इस प्रस्ताव को वित्त उप समिति के [illegible] किया जाये ।

66:12 डा0 आर0 पी0 कटियार, सीनियर साइंटिस्ट §प्लेसेट§ के वेतन निर्धारण के प्रस्ताव पर विचार ।

:-

प्रबंध मण्डल ने निर्देश दिया कि इस प्रस्ताव को वित्त उप समिति के सम्मुख पुनः प्रस्तुत किया जाये ।

66:13 अवर अभियन्ता के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को वेतनमान रू0 516-860 का वेतनमान उनके कार्य भार गृहण करने की तिथि से देने की स्वीकृति का प्रस्ताव ।

-:-

वित्त उपसमिति के अनुशंसा के सहमत होते हुए प्रबंध मण्डल ने प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया ।

66:14 To sanctionincrements due on 1.2.32 to Sri S.M.Shamim EX.-Assistant Registrar in his own scale of Rs.525-1300 as per fixation of pay at Rs.1200/-p.m. on 1.1.1981 upon proforma promotion by the Orissa University of Agri. & Tech.,Bhubveneshwar by way of personal pay under Rule 9(23)of the U.P.Financial Rules.

Order issued on 20/10/87 by AAM.

वित्त उप समिति की अनुशंसा पर विचारोपरान्त प्रबंध मण्डल ने निम्नलिखित प्रस्ताव अनुमोदित किया :-

Sri S.M.Shamim.EX-Asstt. Registrar has been granted as a special case increments by eay of personal pay of Rs.50/- P.M.raising his pay to Rs.1250/-from 1.1.82to 31.12.82 and Rs.100/-P.M.from 1.1.83to 20.1.84raising his pay to Rs.1300/-P.M.the date on which he was relieved to save him from loss of substantive pay provided Sri Shamim has no lien on the post of asstt.Registrar in this University.

The financial in-Volvement in shape of arrears will be around Rs.1900/-

66.15 To increase the annual grant for the publication of University's Journal of Faculty of Agri from the existing amount of Rs.15000/- to Rs. 30000/-

Dean Ag.

प्रबंध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि वर्तमान धनराशि रू0 15000/- से रू0 30,000/- की राशि जरनल्स के मुद्रण हेतु प्रदान कर दी जाये ।

66:16 Consideration of payment of remuneration to internal examiners .

Dean Ag.

प्रबंध मण्डल ने वित्त उप समिति की अनुशंसा से सहमत होते हुए प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया ।

66:17 Agenda item regarding grant of selection grade of Rs.1600-60-1900 -75-2275 to Sri R.S. Shukla,Director of Works of this University.

वित्त उप समिति की निम्न अनुशंसा पर विचारोपरान्त प्रबंध मण्डल ने निर्णय लिया कि वित्त उप समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के आधार पर उचित कार्यवाही की जाए ।

"वित्त उप समिति ने मत व्यक्त किया कि यह विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को Selection grade देने से सम्बन्धित प्रस्ताव है अतः इस प्रस्ताव को शासन के कृषि विभाग के माध्यम से

से वित्त विभाग को आवश्यक आदेश हेतु संदर्भित कर दिया जाये।
वित्त समिति ने यह भी निर्णय लिया कि वित्त विभाग में संदर्भ
प्राप्त होने के 2 माह के पश्चात शासन द्वारा उचित निर्णय ले लिया जाये।

66:18 विश्वविद्यालय की सेवा में संविलीन राजकीय सेवा से त्याग पत्र देकर हुए अधिकारियों/कर्मचारियों को वेतन आयोग शासनादेश सं0 -2-210 /दस-83-स0 व्या0॥सा0॥ /82 दिनांक 4-2-1983 तथा स0-2-1450 /दस -85-स0 व्या0॥सा0॥/82 दिनांक 6-11-85 के अनुसार समयबध्द वेतनमान स्वीकृत किये जाने के प्रस्ताव पर विचार।

-:-

66:21 डा0 एम0पी0शर्मा मेडिकल आफीसर को सेलेक्शन ग्रेड स्वीकृत करने के प्रस्ताव पर विचार।

-:-

वित्त उप समिति की अनुशंसा पर विचारोपरान्त प्रबध मण्डल ने निर्णय लिया कि वित्त उप समिति द्वारा दिये निर्देशों के आधार पर प्रस्ताव सं0 18व 21 पर उचित कार्यवाही की जाए।

" वित्त उप समिति ने मत व्यक्त किया यह विश्वविद्यालय के ... कर्मचारियों को सेलेक्शन ग्रेड देने से सम्बन्धित प्रस्ताव हैं अतः इन प्र प्रस्तावों को शासन के कृषि विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु संदर्भित करा दिये जाये। वित्त समिति ने यह अपेक्षा की कि वित्त विभाग में संदर्भ प्राप्त होने के 2 माह पश्चात शासन द्वारा उचित निर्णय ले लिया जाये।

66:19 लैब टैक्नीशियन/फील्ड असिस्टैंट के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को यू0जी0सी0 वेतनमान दिये जाने की स्वीकृति।

-:-

वित्त समिति ने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत करने की अनुशंसा की थी। वित्त उप समिति की अनुशंसा पर विचारोपरान्त प्रबध मण्डल ने निर्देश दिया कि इस प्रस्ताव को पुनः वित्त उप समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाये

66:20 To consider and approve the creation of placement Bureau in the University.

इस मद पर वित्त ... उप समिति की निम्न अनुशंसा है :-
" वित्त उप समिति ने अनुशंसा की थी कि सम्बन्धित अधिकारी का कार्य, जो Placement Bureau में अपने कार्य के अतिरिक्त करेगा, के कार्यकलापों का 6 माह तक उपयोगी पाने के उपरान्त मानदेय देने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है"।

प्रबंध मण्डल ने उपरोक्त अनुशंसा पर सहमति व्यक्त करते हुए निर्णय लिया कि चूँकि कुलपति महोदय ने जिस अधिकारी को यह कार्य सौंपा है, उसके कार्य से संतुष्ट हैं, अतः उसे प्रबंध मण्डल के निर्णय के दिनांक अर्थात 25-9-1987 से रू0 150/- प्रतिमाह का मानदेय दिया जा सकता है ।

66:22 1705 चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के एक्ट फर्स्ट स्टेच्यूट्स की धारा -28(ड•) के परिनियम के परिनियम - । (घ) तथा 2 को संशोधित कराये जाने का प्रस्ताव ।

:-:

इस प्रस्ताव को वित्त उप समिति ने (दिनांक 21-3-1987) को अस्वीकृत कर दिया था । वित्त उप समिति की अनुशंसा पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इस प्रस्ताव को वित्त उप समिति के सम्मुख पुनः प्रस्तुत किया जाये और साथ ही साथ यह भी निर्देश दिया कि प्रस्ताव में इस बात का उल्लेख अवश्य हो कि विश्वविद्यालय में संविलीन कर्मचारियों अथवा उन कर्मचारियों जिन्हें विश्वविद्यालय की पेंशन सुविधा अनुमन्य नहीं है और जिन्हे विश्वविद्यालय की भविष्य निधि अंशदान की सुविधा अनुमन्य होगी उन मामलों के लिये परिनियमों में संशोधन हेतु वित्त उप समिति पुनः विचार करें क्यों कि इस में कोई व्यवहारिक कठिनाई प्रतीत नही होती है ।

Comp.

66:23 चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,कानपुर के अधिकारियों/कर्मचारियों को भवन एवं वाहन अग्रिम देने के प्रस्ताव पर विचार ।

-:

वित्त उप समिति (13-8-1987) ने निम्न अनुशंसा की थी :-

(1) प्रस्ताव इस शर्त के साथ सैध्दान्तिक रूप से अनुमोदित किया कि कुलपति महोदय द्वारा एतद् विषयक प्रस्ताव पर रू0 5•00 लाख के लिए पारित आदेशों का कार्यान्वयन तुरन्त रोक दिया जाये ।

Comp

(2) भवन एवं वाहन अग्रिम स्वीकृत करने के नियम इस शर्त के साथ अनुमोदित किये कि ये नियम वर्तमान शासकीय आदेशो के अनुरूप हों ।

(3) आयोजनागत पक्ष में पूर्व वर्षों में हुई 2.50 लाख की बचत तथा रू0 25.00 लाख के प्रस्ताव को बजट परीक्षण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाये और परीक्षणों परान्त उसे वित्त उप समिति /प्रबंध मण्डल के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाये ।

(4) बिन्दु 1 पर इंगित 5.00 लाख के वितरण का कार्यान्वयन इस बिन्दु तथा बिन्दु 2 पर प्रबंध मण्डल के अनुमोदन के पश्चात किया जाये ।

प्रबंधमण्डल ने वित्त उपसमिति की उपरोक्त अनुशंसाओं पर सहमति व्यक्त की । इसके साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया गया कि भवन एवं वाहन अग्रिमों के लिए प्रदत्त राशि से की गई कटौतियों से प्राप्त राशि रिवालविंग फण्ड (Revolving Fund) में जमा की जायेगी और इस समय लगभग रू0 5.00 लाख जो रिवालविंग फण्ड (Revolving Fund) में उपलब्ध है उसे इस प्रयोजन हेतु कर्मचारियों में वितरित कर दिया जाये । संलग्न प्रस्ताव (संलग्नक -2) में उल्लिखित नियम Regulations का पार्ट माने जायेंगे ।

66:24 Proposal for enhancing the rates of daily stipend from Rs 10/- to Rs 15/- to the trainees of Hospital Training in the Faculty of Veterinary Science.

Reg.

वित्त उप समिति (दिनांक 13-8-1987) की अनुशंसा से सहमति होते हुए प्रबंध मण्डल ने पशुपालन संकाय में हास्पिटल ट्रेनिंग के अभ्यार्थियों को रू0 15/- की दर से डेली स्टाईपेन्ड देने हेतु अनुमोदन प्रदान किया । जैसा कि वित्त उप समिति ने चाहा था प्रबंध मण्डल को सूचित किया गया कि रू0 10/- की दर माह अप्रैल, 1982 से बढ़ाई गई थी ।

66:25 Approval of the Board about the sanction of modified project on Extension Education entitled as "Educating Farmers about the use of chemical fertilizers in irrigated as well as unirrigated tracts of [illegible] Saharanpur, Jhansi, Banda, Jaunpur, Balia, Lucknow, Unnao, Sitapur, Faizabad, Barabanki, Kanpur Dehat and Hamirpur districts alloted to M/S Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd., Chambur, Bombay.

Ext

वित्त उपसमिति की अनुशंसाओं पर विचारोपरान्त प्रबंध मण्डल ने निर्देश दिया कि इस प्रस्ताव को वित्त उप समिति के सम्मुख पुनः विचारार्थ रखा जाये।

66:26 To approve the Boarding charges @ Rs 10/- per day plus 3/4 of daily allowance admissible to Sri Raj Narain, Meteorological Observer during the training period from 7th July to 14th August, 1987 at Pune.

वित्त उपसमिति {13-8-1987} की अनुशंसा से सहमत होते हुए प्रबंध मण्डल ने पूने में आयोजित प्रशिक्षण काल में श्री राजनारायण को रू0 10/- प्रतिदिन की दर से बोर्डिंग चार्ज तथा दैनिक भत्ते का 3/4 भाग प्रदान करने के लिए सहमति प्रदान की ।

66:27 Useful Exploitation of the Pond Resources by Pisiculture Pond Management.

Dean Ag

वित्त उप समिति की अनुशंसा पर सहमति व्यक्त करते हुए प्रबंध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित किया ।

66:28 चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर में चल रही आयोजनेत्तर एवं आयोजनागत योजनाओं के लिए माह जुलाई, 1987 से सितम्बर 1987 के लिये लेखानुदान की स्वीकृति का प्रस्ताव ।

Comp.

वित्त उप समिति की अनुशंसा पर सहमति व्यक्त करते हुए प्रबंध मण्डल ने अप्रैल, 1987 से सितम्बर 1987 की अवधि के लिए आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर पक्ष की योजनाओं के लिए शासन द्वारा प्राविधानित राशि का 1/2 भाग व्यय करने की अनुमति प्रदान की । प्रबंध मण्डल ने उपरोक्त दर पर 1-10-1987 से 31-12-1987 की अवधि के लिए आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर मदों पर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की ।

66:29 डा0 उदयनारायण सिंह, उपनिदेशक शोध {एन0ए0आर0पी0} वेतनमान रू0 1250-2050 के वेतन संरक्षण के प्रस्ताव पर विचार ।

Order issued vide no CSUF-2282-84 dt. 10.11.87

वित्त उप समिति की अनुशंसा पर सहमति व्यक्त करते हुए प्रबंध मण्डल ने डा0 उदय नारायण सिंह को रू0 1660/- मूलवेतन देने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया ।

66:30 डा0 कु0 मैरी वेलिंग्टन, प्राध्यापक एवं अध्यक्ष गृह विज्ञान विभाग को वेतनमान रू0 1500-2500 में रू0 1740/- के स्तर पर वेतन निर्धारित करने के प्रस्ताव पर विचार ।

Intimated vide no. CSUF-2260-61 dt 10.11.87

वित्त उप समिति की अनुशंसा पर प्रबंध मण्डल ने प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया ।

66:31 मीटर रीडर -कम-बिल क्लार्क के पद के वर्तमान वेतनमान रू0465-664 में उच्चीकृत किए जाने के प्रस्ताव पर विचार ।

-:-

वित्त उप समिति की अनुशंसा पर प्रबंध मण्डल ने प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया ।

66:32 श्री रमेश चन्द्र द्विवेदी, प्रवक्ता कृषि अभियंत्रण, ब्रह्मानन्द महाविद्यालय, राठ हमीरपुर का उप निदेशक (चावल मिल) के पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को रू0 1150/- वेतन संरक्षण करने के प्रस्ताव पर विचार ।

-:-

Order issued vide no. CSUE-2285-87 dt. 10-11-87

वित्त उप समिति (दिनांक 13-8-1987) ने अनुशंसा की थी कि श्री द्विवेदी का नियमानुसार वेतन संरक्षित किया जाये । प्रबंध मण्डल ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में 1-7-79 को को विद्यमान पदों के नये वेतनमानों की स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 12-8-1987 में इस पद के लिये रू0 1250-2050 का वेतनमान स्वीकृत है अतएव श्री द्विवेदी को वेतनमान रू0 1250-2050 [illegible] में रू0 1250/- का मूल वेतन प्रदान कर दिया जाये ।

66:33 अध्यापकों की वैयक्तिक प्रोन्नति योजना के फलस्वरूप परिनियमों में संशोधन पर विचार ।

-:-

Reg.

उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार आगामी बैठक के लिये स्थगित कर दिया गया ।

66:34 द्वितीय उ0प्र0 वेतनआयोग (1979-80) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के अनुसार चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के विभिन्न पदों पर नये वेतनमान की स्वीकृति ।

-:-

[illegible] शासनादेश सं0 3342/बारह-8-87-400(69)/82 दिनांक 12-8-87 द्वारा स्वीकृत नये वेतनमानों को लागू करने हेतु प्रबंध मण्डल ने कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की ।

66:35 Regarding sanction of expenditure on International Study Programme to Dr.H.G.Singh, Dean College of Agriculture.

Dean Ag.

डा0 एच0जी0सिंह, अधिष्ठाता, कृषि [illegible] द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय स्टडी कार्यक्रम के सम्बन्ध में व्यय की गई रू0 21,948/(रूपया इक्कीस हजार नौ सौ अड़तालिस मात्र) की राशि तथा भाग लेने की स्वीकृति प्रबंध मण्डल ने प्रदान की ।

66:36 To consider & approve the participation of Dr.G.P. Srivastava, Prof.& Head, Department of Agricultural Biochemistry, C.S.Azad Univ. of Agric.& Tech., Kanpur in the Seventh International Conference on Environmental Pollution to be held at Toronto, Canada on June 11 & 12, 1987.

प्रबंध मण्डल ने डा० जी०पी०श्रीवास्तव को उक्त कान्फ्रेंस में भाग लेने तथा इस सम्बन्ध में व्यय हुई रू० 34,978/- {जिसमें भारतीय कृषि शोध परिषद का अंश भी शामिल है} की राशि की स्वीकृति प्रदान की ।

Dr. G.P. Srivastava

66:37 विश्वविद्यालय के कतिपय रिक्त पदों पर चयन समिति द्वारा नियुक्ति हेतु दी गई संस्तुतियों पर विचार हेतु प्रस्ताव ।

-:-

परिनियमों के अध्याय 13 की धारा 9{1} के अन्तर्गत कुलपति एवं प्रबंध मण्डल के सदस्यों को दिये गये अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न पदों के लिये चयनित अभ्यर्थियों के नामों की सूची और साथ ही साथ उन चयनित अभ्यर्थियों, जिनको 6 माह की अवधि के लिये नियुक्ति आदेश जारी किये गये थे, की सूची प्रबंध मण्डल के विचारार्थ रखी गई प्रबंध मण्डल ने विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये :-

{1} प्रबंध मण्डल की आगामी बैठक में एक विवरण पत्र प्रस्तुत किया जाये जिसमें पद का नाम, विज्ञापित पद की शैक्षिक योग्यता, वेतनमान, चयनित अभ्यर्थियों के नाम के साथ उनकी शैक्षिक योग्यता और उनकी योग्यता सूची {Merit List} में स्थान का उल्लेख हो ।

{2} कुलपति महोदय द्वारा पूर्व में जारी किये गये नियुक्ति आदेश जिनका उपर उल्लेख है, प्रबंध मण्डल की आगामी बैठक तक प्रभावी रहेंगें ।

{3} चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर कुलपति द्वारा की गई अस्थाई नियुक्तियों के मामले में कुलपति प्रत्येक मामले के {अरजैन्सी} का परीक्षण भली भांति करलें तथा प्रबंध मण्डल की आगामी बैठक में विद्यमान परिस्थितियों से अवगत करादें ।

[illegible]

-:-

[illegible signature] [illegible signature]

66:38 विश्वविद्यालय कर्मचारियों की अधिवर्षता आयु को बढ़ाने के सम्बन्ध में ।

-:-

प्रबंध मण्डल के सदस्यों को पत्र संख्या सीएसयूपी:1163/सी/परि० प्रस्ताव दिनांक 14-8-1987 द्वारा परिचालन द्वारा उपरोक्त विषय पर अर्थात 60 वर्ष से 62 वर्ष तक अधिवर्षता आयु बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया था जिसकी प्रबंध मण्डल के 12 सदस्यों में से 9 सदस्यों ने स्वीकृति कर दिया था । प्रबंध मण्डल ने परिचालन द्वारा लिये गये निर्णय को (Endorse) किया एवं तत्सम्बन्धी निर्णय पर अपनी सहमति व्यक्त की कुलपति महोदय के आदेश सं० सीएसयू 1757-64 दिनांक 31-8-1987 जो उक्त प्रस्ताव के साथ संलग्न था) जिसके द्वारा डा० ए०एन०पाठक, डा०आर०डी०गोयल, डा० आर०के०माथुर तथा श्री आर०डी०खरे की 31-8-1987 से सेवा निवृत्ति के आदेश पारित किये गये थे को भी (Endorse) किया एवं अपनी सहमति व्यक्त की । श्री अशोक कुमार, विशेष सचिव कृषि ने इस मद पर विचार विमर्श में भाग नहीं लिया ।

66:39 To consider and approve the award of Vice-Chancellor Gold Medal for most disciplined student of each faculty.

प्रबंध मण्डल ने प्रत्येक संकाय के एक-एक छात्र को कुलपति स्वर्णपदक देने का प्रस्ताव अनुमोदित किया । इन पदकों की लागत रू0700/- प्रतिवर्ष होगी ।

66:40 Continuation of Water Management, Irrigation and Drainage scheme.

प्रबंध मण्डल ने जलप्रबंध, सिंचाई एवं जलनिकासी योजना की निरन्तरता के प्रस्ताव को अनुमोदित किया ।

66:41 Continuation of Kathia and Triticale Wheat scheme

प्रबंध मण्डल ने कठिया योजना की निरन्तरता के प्रस्ताव को अनुमोदित किया ।

66:42 To consider and approve the proposal that new Under graduate Hostel be named ' Tilak Hostel '

प्रबंध मण्डल ने नवनिर्मित अण्डर ग्रेजुएट छात्रावास के नाम "तिलक छात्रावास" के प्रस्ताव को अनुमोदित किया ।

66:43 विश्वविद्यालय के "किसान भवन" की सिक्योरिटी धनराशि रू0 500/- से रू0 750/- करने के प्रस्ताव पर विचार ।
-:-

प्रबंध मण्डल ने किसान भवन की सिक्योरिटी राशि रू0 750/- करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया ।

66:44 उच्चन्यायालय, उत्तर प्रदेश ,इलाहाबाद में विश्वविद्यालय के मुकदमों की पैरवी के लिए अधिवक्ता नियुक्त करने के प्रस्ताव पर विचार ।
-:

विचार विमर्श के बाद प्रस्ताव वापस ले लिया गया ।

66:45 निदेशालय प्रसार कृषक प्रशिक्षण केन्द्र को भवन एवं छात्रावास हेतु चन्द्रशेखर की भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराने तथा प्रशिक्षण केन्द्र को चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के नियंत्रण में स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव ।
-:-

माननीय सदस्यों को पूर्व में इस बैठक के लिए पत्र सं0सीएसयूपी:सी-।188-99/बोर्ड -66 दिनांक 4-9-87 के साथ इस मद पर जो प्रस्ताव एवं नोट्स भेजे गये थे उसको बैठक के समय संलग्न प्रस्ताव (संलग्नक-3) से (रिप्लेस) कर दिया गया जिसमें जो परिवर्तन किया गया है वह निम्नवत है :-

DF

Informed to concerning authority as informed by DF.

" कृषक प्रशिक्षण केन्द्र के लिएएक भवन की आवश्यकता है तथा प्रबंध मण्डल की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही डेरी फार्म की एक एकड़ भूमि जो कि जी0टी0रोड पर रामगंगा कमाण्ड परियोजना को दीहुई भूमि के निकट है इस शर्त के साथ उपलब्ध की जा सकती है कि कृषक प्रशिक्षण केन्द्र अपने भवन के निर्माण के साथ विश्वविद्यालय की देखरेख में कार्य करेगा तथा जब भी यह केन्द्र ग्राम्य विकास विभाग द्वारा बंद किया जावे तो भवन कास्थानान्तरण विश्वविद्यालय को निःशुल्क कर दिया जायेगा । ग्राम्य विकास विभाग इस केन्द्र का उपयोग केवल कृषक प्रशिक्षण के लिये ही करेगा ।

66:46 प्लेटिनम जुबली के उपलक्ष में विश्वविद्यालय कर्मचारियों को 1-1-1979 से 31-12-79 तक दी गयी एक अतिरिक्तवेतन वृध्दि की राशि को सृजित (वेलवेलेन्ट फण्ड) में जमा की है की वापसी हेतु प्रस्ताव ।
-:

Comp

यह प्रस्ताव आगामी बैठक के लिए स्थगित कर दिया गया ।

66:47 पब्लिक रिलेशन आफीसर वेतनमान रू0 700-1600 के पद पर श्री व्रिजिस कबर रिजवी, सेवानिवृत्त ए0डी0एम0 की सेवायें वार्षिक कान्ट्रेक्ट पर लिये जाने का प्रस्ताव ।

-:-

पब्लिक रिलेशन आफिसर के पद को पी0सी0एस0 सम्वर्ग के वेतनमान रू0 1250-2050 के वरिष्ठअधिकारी से भरा जाये और जिसका पदनाम नियुक्त अधिकारी की वरीयता के अनुसार अतिरिक्त निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक हो । जिससे कुलपति मानीटरिंग तथा अन्य उपयुक्त कार्य लेंगे ।

66:48 डा0 आर0पी0सिंह, जूनियर साइंटिस्ट/ असि0 प्रोफेसर को दिनांक 15-12-86 से 14-12-1987 तक एक वर्ष के लिए और लियन सुरक्षित रखे जाने के प्रस्ताव पर विचार ।

-:-

डा0 सिंह को दिनांक 15-12-1986 से 14-12-1987 तक अवैतनिक अवकाश स्वीकृति करते हुये लियन रखे जाने के प्रस्ताव को प्रबंध मण्डल ने अनुमोदित किया ।

66:49 डा0 आर0डी0वैश्य, सहायक प्राध्यापक, सस्य विज्ञान को दिनांक 1-12-86 से 30-11-1987 तक एक वर्ष के लिए और लियनसुरक्षित रखे जाने के प्रस्ताव पर विचार ।

-:-

डा0 वैश्य का दिनांक 1-12-86 से 30-11-87 तक एक वर्ष के लिए अवैतनीक अवकाश और लियन सुरक्षित रखे जाने काप्रस्ताव अनुमोदित किया ।

66:50 डा0 जे0पी0 लवानिया, सह आचार्य शल्य विभाग, पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय मथुरा को विदेश सेवा हेतु कार्य मुक्त करने की अनुमति प्रदान करते हुए धारणाधिकार सुरक्षित रखने के प्रस्ताव पर विचार ।

-:-

डा0 लवानिया को विदेश सेवा हेतु कार्यमुक्त करने तथा धारणाधिकार सुरक्षित रखने के प्रस्ताव को प्रबंध मण्डल ने अनुमोदित किया ।

66:51 डा0 एन0पी0सिंह, रिसर्च आफीसर (पुशालारिसर्च) को फैलोशिप पर जाने की अवधि में उपार्जित अवकाश स्वीकृत करने के प्रस्ताव पर विचार ।

Order issued vide no CSOF 22220-90 dt. 1-11-87

-:-

प्रबंध मण्डल ने डा0 सिंह को 125 दिन काउर्जित अवकाश तथा 54 दिन का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया ।

66:52 डा० एम०शाबिर, प्रोफेसर फामाकोलीजी (अवकाश पर) को दिनांक 9-2-1987 से एक वर्ष के असाधारण अवैतनिक अवकाश की स्वीकृति का प्रस्ताव ।

Order issued vide no. CSUF-2260-61 dt. 10-11-87

-:

प्रबध मण्डल ने डा० शाबिर को दिनांक 9-2-87 से एक वर्ष का असाधारण अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया ।

66:53 श्री इसरार अहमद, चालक को विदेश सेवा पर जाने हेतु दिनांक 4-7-1987 से 2 वर्ष के असाधारण अवैतनिक अवकाश की स्वीकृति

-:-

प्रबध मण्डल ने श्री अहमद को 4-7-87 से 2 वर्ष का असाधारण अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया ।

66:54 कैप्टन एस०के०गुप्ता, सुरक्षा अधिकारी का कार्यकाल दो वर्ष पूरा होने के पश्चात सेवा में चलते रहने की स्वीकृति के प्रस्ताव पर विचार ।

-:

प्रबध मण्डल ने इस प्रस्ताव को वित्त उप समिति के विचारार्थ संदर्भित करने का निर्देश दिया ।

66:55 सर्व श्री मौजीलाल एवं कक्कू, वरिष्ठ अनुसंधान सहायक को आगामी सत्र जून, 1988 तक सेवा में रखे रहने की स्वीकृति प्रदान किए जाने के प्रस्ताव पर विचार ।

Order issued vide no. CSUH-7834-37 dt. 10-11-87

-:

प्रबधं मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित किया और निर्देश दिया कि इस प्रकार के प्रस्ताव जो कि वरिष्ठ अनुसंधान सहायक को 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु के तुरन्त पश्चात 30जून तक चलते रहने से सम्बन्धित हो, भविष्य में प्रबधं मण्डल के समक्ष लाने की आवश्यकता नहीं है । कुलपति महोदय स्वंय अपने स्तर से उनका निस्तारण करलें ।

66:56 डा० आदित्य कुमार, सह प्राध्यापक, पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय मथुरा को दो अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने हेतु स्वीकृति प्रदान करने पर विचार ।

Intimated vide no CSUF-2278-79 dt. 10-11-87

:-:

प्रबध मण्डल ने डा० कुमार को दो अन्तराष्ट्रीय सम्मलनों में भाग लेने की स्वीकृति प्रदान की ।

66:57 अधिष्ठाता कृषि संकाय वेतनमान रू० 1500-2500 के पद पर डा० डा० एच०जी०सिंह, को स्थाई करने के प्रस्ताव पर विचार ।

Order issued vide no. CSUF-2262-65 dt. 10/11/87

:-:

प्रबंध मण्डल ने डा० एच०जी०सिंह, को दिनांक 2-2-86 से अधिष्ठाता कृषि संकाय के पद पर स्थायी करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया ।

66:58 क्षेत्रीय प्रसार सेवा केन्द्र (चावलमिल योजना) में नियुक्त सर्वश्री टी० सी०मिश्रा, संयुक्त निदेशक, पी०के०विसारिया, प्राविधिक अधिकारी वी०एल०त्रिपाठी, एवं लाल मणि, सहायक निदेशक के नियुक्ति कार्यकाल बढ़ाये जाने के प्रस्ताव पर विचार।
-:-

प्रबंध मण्डल ने सर्वश्री टी०सी०मिश्रा, पी०के०विसारिया, वी०एल०त्रिपाठी, एवं लालमणि की सेवा की अवधि दो साल के पश्चात 31-12-1987 तक बढ़ाने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त प्रबंध मण्डल ने निर्देश दिया कि अधिष्ठाता कृषि संकाय द्वारा की गई जाँच रिपोर्ट, जो 13 जुलाई 1986 को प्रस्तुत कर दी गई थी, को प्रशासकीय टिप्पणी के साथ प्रबंध मण्डल की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये और साथ ही साथ यह निर्देश भी दिया कि प्रबंध मण्डल की बैठक दिनांक 29-10-1984 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में श्री मिश्रा, के विरूध्द की गई जाँच रिपोर्ट को भी प्रस्तुत किया जाये। इसमें अब किसी प्रकार का विलम्ब न किया जाए।

प्रबंध मण्डल के कतिपय सदस्यों ने आश्चर्य प्रकट किया कि राइस मिल योजना के अन्तर्गत कार्य करने वाले कतिपय अधिकारी/कर्मचारी को माह का पूर्ण वेतन नहीं दिया जा रहा है और इस प्रकार उनका उत्पीड़न किया जा रहा है यदि राईस मिल में किन्ही कर्मचारी-यों के विरूध्द कोई शिकायतें हैं तो उनपर संयुक्त निदेशक, राईस मिल द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाये, न कि उनका वेतन काट करके उनके प्रताड़ित एवं उत्पीड़ित किया जाये। प्रबंध मण्डल ने निर्देश दिया कि राईस मिल के समस्त कर्मचारियों को इस प्रकार की कटौती किये गये वेतन का भुगतान तुरन्त किया जाये। कुलपति द्वारा इस आशय के आदेश संयुक्त निदेशक, राईस मिल को भेज दिये जाये।

66:59 विश्वविद्यालय में चल रही योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत लेखाधिकारी वेतनमान 850-1720 के विरूध्द सहायक लेखाधिकारी के पद पर की गई प्रोन्नति के अनुमोदन के प्रस्ताव पर विचार।
-:-

प्रबंध मण्डल ने विचारोपरान्त उपरोक्त प्रस्ताव अनुमोदित किया।

66:60 Payment of arrear claims of Dr.Ram Pratap Singh, Ex.Junior Lecturer who has now left the University and joined other Department.

प्रबंध मण्डल ने डा0 सिंह को (25-7-78 से 1-6-79) अवशेष राशि रू0 6,7--/- (रू0 छ: हजार सात सौ मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की ।

66:61 Relaxation in the upper age limit for appointment as Research Associates.

प्रबंध मण्डल को सूचित किया गया कि श्री आर0एस0चहेल की नियुक्ति 22-1-87 को रिसर्च एसोसिएट के पद पर हो गई है । प्रबंध मण्डल ने प्रस्ताव इस अभ्युक्ति के साथ अनुमोदित किया कि भविष्य में upper age limitation Relaxation स्वीकृत न किया जाये ।

Reg.

66:62 To consider and accept the offer of the Director Potash Research Institute of India for creation of the position of one Field Assistant & One Senior Research fellow in the Potash Project.

प्रबंध मण्डल ने कथित संस्थान के आफर को स्वीकृति प्रदान की ।

Dr. KNT

66:63 पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय मथुरा के श्री हरचरन लाल शर्मा, चालक द्वारा स्वयं की चिकित्सा पर किये गये व्यय रू0 1085-70 पैं0 की प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्ताव ।

प्रबंध मण्डल ने श्री शर्मा को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु रू0 1085/-70 पै0 की राशि स्वीकृति की ।

Dean Vet.

66:एस-1 To consider & approve the confirmation of Dr.Ayodhya Prasad, Profl & Head,Deptt. of Horticulture and Dr.G.P.Srivastava, Prof.& Head, Deptt. of Agricultural Biochemistry on their respective posts.

प्रबंध मण्डल ने दिनांक 1-6-87 से डा0 अयोध्या प्रसाद एवं डा0 जी0पी0श्रीवास्तवा को क्रमश: प्राध्यापक एवं अध्यक्ष,उद्यान विभाग तथा एग्रीकल्चरल बायोकेमेस्ट्री के पदों पर स्थायीकरण के प्रस्ताव को अनुमोदित किया ।

66:एस-2 To consider & approve the acceptance of offer received from Director,Far East Regional Research Office, American Embassy, New Delhi for financing 100% basis scheme on "Photosynthesis and crop productivity under tropical environment solar energy utilization & Biomass partitioning."

प्रबंध मण्डल ने संलग्न प्रस्ताव (संलग्नक-4) को स्वीकार करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया ।

CP

66:एस-3 चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,कानपुर में अधिकारी/कर्मचारी द्वारा चिकित्सा पर किए गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्ताव ।

DSW

प्रबंध मण्डल ने कानपुर प्रांगण के निम्नलिखित कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु रू0 5509-56 की राशि स्वीकृत की ।

1- मो0 अमीन रू0 1583-76

2- श्री अजय कुमार कटियार रू0 1302-50

3- श्री उधौ विश्वकर्मा रू0 2623-30

66÷एस-4 Revision of rates of Teacher's and Farmer's Guest-house.

Admn. order issued vide no. CSUH DF 7904-11 dt. 11-11-87

प्रबंध मण्डल ने टीचर्स एवं फारमर्स गेस्ट हाउस के किराये हेतु संलग्न प्रस्ताव ﴾संलग्नक-5﴿ में उल्लिखित दरों को पुनरीक्षित करने हेतु 25-9-87 से स्वीकृति प्रदान की परन्तु पुनरीक्षित दरें प्रशासकीय आदेश निर्गत होने की तारीख से प्रभावी मानी जायेगी ।

66:एस-5 To consider for granting permission to Dr.H.G.Pant, Professor of Gynaecology & Reproduction, College of Veterinary Science, Mathura to deliver Lectures to the 17th Swedish International Post-graduate Course on Animal Reproduction at Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden.

Sanction issued vide no. CSUF-2276-77 dt. 10/11/87

प्रबंध मण्डल ने डा0 पन्त को स्वीडन में आयोजित कोर्स में व्याख्यान देने हेतु 1-9-87 से 6 सप्ताह के लिए अनुमति प्रदान की ।

66÷एस:6 डा0 आर0पी0सिंह, सीनियर फार्म मैनेजर, वेतनमान रू0 1200-1900 का दो वर्ष का सेवाकाल पूरा होने के पश्चात निरन्तरता की स्वीकृत के प्रस्ताव पर विचार ।

(1) Communicated to Dr. Singh vide no CSUF-2291-93 dt. 11-11-87 reg. pay
(2) Dr. A.S. Warsi apptd Enquiry officer vide no CSUF-2272-74 dt. 10-11-87
(3) Extension in period vide no. CSUF-2294-96 dt. 11-11-87

प्रबंध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निम्नलिखित [illegible] निर्णय लिये :-

﴾1﴿ डा0 आर0पी0सिंह, को माननीय उच्च [illegible] न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पुन: सेवा में लिये जाने के कुलपति के आदेश को ﴾Ex-post facto ....﴿ अनुमोदित करते हुये [illegible] endorse किया । पूर्व में कुलपति द्वारा डा0 सिंह, को discharge किये जाने की तिथि से पुन: सेवा में लिये जाने की तिथि तक का कोई भी वेतन न दिये जाने का निर्णय लिया ।

﴾2﴿ माधुरी कुण्ड फार्म पर हुयी क्षति, जो डा0 सिंह के कार्यकाल में

थी
हुई ..,के संदर्भ में डा0 ए0एस0वारसी,निदेशक शोध को जाँच अधिकारी नियुक्ति किया गया । डा0 सिंह के विरूद्ध यदि आरोप बनते है,तो डा0 वारसी चार्जशीट कुलपति महोदय से अनुमोदित करवाकर डा0 सिंह को दें दें । चार्जशीट अनुमोदित करने के लिए प्रबंध मण्डल ने कुलपति को प्राधिकृत किया ।

(3) डा0 सिं का सेक्शनदो वर्ष के कार्यकाल के पश्चात 31 मार्च, 1988 तक बढ़ाने का निर्देश दिया ।

66:एस:7 एसोसिएट डाइरेक्टर (एन0ए0आर0 पी0) वेतनमान रू0 1500-2500 के पद पर डा0 आर0पी0सिंह तथा डा0 महेशपाल की नियुक्ति के प्रस्ताव पर विचार ।

-:-

प्रबंध मण्डल ने निम्नलिखित निर्णय लिये :-

(1) एसोसिएट डायरेक्टर (एन0ए0आर0पी0) के पद पर डा0 आर0पी0 सिंह,की नियुक्ति अनुमोदित की।

Appt. order issued vide no. CSUB-2297 dt. 12/11/87

(2) एसोसिएट डायरेक्टर (एन0ए0आर0पी0)माधुरी कुण्ड का पद विज्ञापित कर दिया जाये किन्तु चूंकि डा0 महेश पाल,एन0ए0आर0पी0 भरारी के एसोसिएट डायरेक्टर के पद के लिए चयनित सूची में प्रतीक्षा सूची में थे अत: कार्यहित में डा0 पाल की इस पद पर नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी आधार पर ... (Adhoc)व्यवस्था के अन्तर्गत इस शर्त के साथ अनुमोदित की कि यदि इनका विधिवत चयन नहीं हो पाता तो डा0 महेश पाल अपने मूल पद पर प्रत्यावर्तित (Revert ....) हो जायेंगे।

66:एस-8 डा0 हरदेव सिंह, तत्कालीन उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान संस्थान कानपुर के असिस्टेंट एग्रोनामिस्ट को विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण कराये जाने के प्रस्ताव पर विचार ।

-:-

Intimated vide no. CSUB-2305-6 dt. 13-11-87

डा0 हरदेव सिंह शासन से वर्ष 1977 में सेवामुक्त हो चुके हैं अत: प्रबंध मण्डल के द्वारा इनको पुन: सेवा में लिये जाने काकोई औचित्य नहीं है।अत: प्रस्ताव अस्वीकृत किया जाता है ।

अन्य मद :-
=============

{1} प्रबंध मण्डल की बैठक दिनांक 25-3-1976 के निर्णय के अनुसार प्रबंध मण्डल की बैठकों के लिये 3 सदस्यों के कोरम के स्थान पर 5 सदस्यों के कोरम को करने का निर्णय लिया।

{2} श्री अशोक कुमार, विशेष सचिव कृषि {आमंत्रित सदस्य} ने कुलपति महोदय से अनुरोध किया कि शासकीय सेवाओं की भांति विश्वविद्यालय में शैक्षिक पदों की नियुक्तियों में भी Scheduled castes/Scheduled tribes/Backward class के लिये भी आरक्षण की नीति को अपनाया जाये। श्री अशोक कुमार के इस अनुरोध पर कुलपति महोदय ने सूचित किया कि वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत परिनियमों { Statutes } में शैक्षिक पदों के लिये इस प्रकार का कोई प्राविधान नहीं है। प्रबंध मण्डल ने निर्देश दिया कि इस दिशा में परिनियमों में व्यवस्था करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये।

{3} प्रबंध मण्डल के कतिपय सदस्यों ने अनुरोध किया कि स्थायीकरण के सम्बन्ध में अन्य अध्यापकों का मामला प्रबंध मण्डल की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये। स्थायी-करण के मामले में उन अध्यापकों को उसी क्रम में वरीयता दी जाये जिस क्रम में Merit List में चयन समिति ने चयन किया था।

अन्त में बैठक प्रबंध मण्डल के अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ समाप्त हो गई।

अर्द्ध नियंत्रक एवं सचिव
प्रबंध मण्डल

कुलपति एवं अध्यक्ष
प्रबंध मण्डल